द्वारा ई-मेल/फैक्स/महत्वपूर्ण

फैक्स / अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण / प्राथमिकता

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

टावर-2, चतुर्थ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग, पुलिस भवन गोमती नगर विस्तार, लखनऊ

संख्या-डीजी-चार-101(16-मुहरबन्द)2015 दिनॉक:लखनऊ:जुलाई 18 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2015 (यथासंशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा चयन वर्ष 2016 में 37 उपनिरीक्षकों तथा चयन वर्ष 2015 में 05 उपनिरीक्षकों के चयन परिणाम को मुहरबन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था जिसका प्रकाशन दिनांक:28.02.2018 एवं 22.11.2016 द्वारा उ0प्र0पुलिस की बेवसाईट पर किया गया था।

2- उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997, दिनांक:28.05.1997 के खण्ड -7 (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष पाये जाने के फलस्वरूप नियुक्त प्राधिकारी द्वारा मुहरबन्द लिफाफों को खोलकर उनमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति के कियान्वयन की कार्यवाही की गयी। प्राधिकृत बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति में उपनिरीक्षक ना0पु0 राजेन्द्र कुमार शर्मा (पीएनओ 852430114) जनपद सीतापुर एवं उपनिरीक्षक ना0पु0 समय सिहं (पीएनओ 012290068) जनपद अलीगढ़ को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप उपरोक्त दोनों उपनिरीक्षकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके कनिष्ठ की तिथि से निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क0 सं0	पीएनओ	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति जनपद	चयन का वर्ष	संस्तुति
1	2	3	4	5	6	7
1	852430114	राजेन्द्र कुमार शर्मा	राम शंकर शर्मा	सीतापुर	2016	उपयुक्त
2	012290068	समय सिंह	नकली राम	अलीगढ़	2015	उपयुक्त

3- पदोन्नति पाये उपरोक्त निरीक्षकगण अपने नियुक्ति स्थान जनपद पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें।

4- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से संलग्न प्रारूप (क) मे स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/ 89-का-1-1997 दिनांक: 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों:-

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

5– यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभर ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर–3 में अंकित परिस्थितियाँ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

6– यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा–पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइटhttp://uppolice.gov.inपर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक– प्रारूप (क)

18/7/19

(डॉ0 राकेश शंकर)
पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक/स्थापना
उत्तर प्रदेश।

18/7

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा एवं लखनऊ जोन ।
2– पुलिस महानिरीक्षक, अलीगढ़ एवं लखनऊ परिक्षेत्र।
3– वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, सीतापुर/अलीगढ़।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2– पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय प्रयागराज।

———

17/7

Padarth Promotion -2018 -.doc